यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश** के माह **05/2013** से माह **03/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हितेन्द्र चिकारा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **10.08.2020** से **20.08.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-1

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की स्थापना माह मई 2013 में की गई थी। इकाई की स्थापना के बाद यह प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गई थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा नमामि गंगे परियोजना तथा पेयजल योजनाओं से संबन्धित निर्माण कार्य किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र देहरादून जिले में ऋषिकेश, टिहरी जिले में नरेन्द्र नगर विकास खण्ड तथा पौड़ी जिले में यमकेश्वर विकास खण्ड है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2013-14	0.000	0.000	123.250	105.240	18.010	282.520	256.580	25.940
2014-15	18.010	25.940	223.950	227.603	14.357	686.000	709.910	2.030
2015-16	14.357	2.030	182.740	188.740	8.357	714.620	644.640	72.010
2016-17	8.357	72.010	228.030	226.690	9.697	310.080	326.260	55.830
2017-18	9.697	55.830	99.740	99.690	9.747	1091.920	799.150	348.600
2018-19	9.747	348.600	248.990	247.500	11.237	7025.867	3493.290	3881.177
2019-20	11.237	3881.177	237.340	245.660	2.917	4232.331	6001.850	2111.658

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

योजना का नाम	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
NGRBA	0	251.14	251.14	0	684.73	684.73	0	235.39	235.39	0	205.42	205.42
NAMAMI GANGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2017-18			2018-19			2019-20		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
NGRBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAMAMI GANGE	0	607.59	607.59	0	6530.67	3256.81	3273.86	4232.32	5641.58

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा नमामि गंगे परियोजना तथा पेयजल योजनाओं से संबन्धित निर्माण कार्य किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य वाह्य सहायतित विभाग द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियन्ता→महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता→परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता→परियोजना अभियन्ता/सहायक अभियन्ता→अपर परियोजना अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता→सहायक परियोजना अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा नमामि गंगे परियोजना तथा अन्य पेयजल योजनाओं से संबन्धित निर्माण कार्यों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **06/2017, 02/2016, 02/2019** एवं **06/2019** (आय) तथा **06/2017, 04/2015, 06/2019** एवं **03/2019 (व्यय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। नमामि गंगे परियोजना तथा पेयजल योजनाओं से संबन्धित निर्माण कार्यों का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 1 : निविदा प्रतिभूति की धनराशि ` 3.24 लाख का वापस न लौटाया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 36(3) के अनुसार, "असफल निविदादाताओं की निविदा प्रतिभूति उसकी अन्तिम वैधता अवधि की समाप्ति पर यथाशीघ्र, परन्तु संबन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा संविदा करने के उपरान्त 30 (तीस) दिन के अन्तर्गत ही संबन्धित निविदादाताओं को लौटा देनी चाहिए।"

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण, इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश के निविदा प्रतिभूति रजिस्टर की जांच में पाया गया कि निविदा प्रतिभूति की अन्तिम वैधता अवधि समाप्ति होने/ संविदा की तिथि के 30 दिन पश्चात भी असफल निविदादाताओं की निविदा प्रतिभूति की धनराशि उन्हें वापस नहीं लौटाई गई थी। निविदा प्रतिभूति रजिस्टर के अनुसार वर्तमान (अगस्त 2020) में इकाई के पास असफल निविदादाताओं की निविदा प्रतिभूति की उपलब्ध धनराशि का विवरण निम्नानुसार था:-

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	एफ.डी.आर. /टी.डी.आर. संख्या	दिनांक	वैधता	धनराशि
01.	M/s Ganpati Computers	224293	29.08.2013	12 Months	2000
02.	Maan Computer Service	224291	29.08.2013	12 Months	2000
03.	M/s Balaji Construction	237795	12.10.2015	12 Months	120000
04.	M/s Jayraj Khadka	1DJDV001965	09.11.2015	06 Months	70000
05.	Sh. Jayraj Khadka	KE-266385	08.12.2015	12 Months	30000
06.	Sh. Jayraj Khadka	KE-266384	08.12.2015	12 Months	15000
07.	Not mentioned in register.	00323-2498-46002	16.04.2016	16.07.2016	5000
08.	Not mentioned in register.	0141701	16.04.2016	16.04.2017	5000
09.	R.R. Constructions	390800PU007304	21.12.2016	16.12.2017	30000
10.	M/s Devendra Prakash	509916	21.12.2016	17.03.2017	30000
11.	Alfa Systems & Services	256418	22.12.2016	22.12.2017	15000
				Total	**324000**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण निविदा प्रतिभूति की धनराशि को वापस नहीं लौटाया गया था तथा इस सम्बंध में शीघ्र ही संबन्धित ठेकेदारों/फ़र्मों के साथ पत्राचार कर उनकी निविदा प्रतिभूति की धनराशि को वापस लौटा दिया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियमों के अनुसार संविदा करने के 30 (तीस) दिन उपरान्त भी निविदा प्रतिभूति की धनराशियों को संबन्धित ठेकेदारों/फ़र्मों को वापस नहीं लौटाया गया था। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा उपरोक्त निविदा प्रतिभूतियों का वार्षिक भौतिक निरीक्षण कर सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-2: भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनदेखी तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप उद्देश्यों की पूर्ति न किया जाना।

विश्व बैंक पोषित नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में मुनि-की-रेती एवं ढालवाला (टिहरी गढ़वाल) में आई. एण्ड. डी. एवं एस.टी.पी. कार्यों, जिसमें आई. एण्ड. डी. (Interception & Diversion Works) कार्यों का एक वर्ष का तथा एस.टी.पी. कार्यों का 15 वर्ष का संचालन व अनुरक्षण कार्य भी शामिल था, हेतु ` 8045.14 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मार्च 2017 में प्रदान की गयी थी जिसमे ` 4333.53 लाख के निर्माण कार्य एवं ` 3711.61 लाख के संचालन और अनुरक्षण कार्य संपादित किए जाने थे।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा (अगस्त 2020) के दौरान अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु M/s J.V.R.K. Engineers Sales Ltd., Lucknow के साथ DBOT mode (Design, Build, Operate, transfer) के अंतर्गत ` 6701.52 लाख का अनुबंध गठित किया गया (फरवरी 2018) जिसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि 17.02.2018 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 16.08.2019 निर्धारित की गयी थी। संबन्धित अभिलेखानुसार उक्त कार्य पर माह 07/2020 तक ` 3512.798 लाख का व्यय किया जाना एवं 97 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्रदर्शित हो रही थी।

उक्त स्वीकृति आदेश में निर्देशित शर्तों के अंतर्गत कार्य का विस्तृत डिजाइन व्यापक सर्वेक्षण के उपरांत तैयार किया जाना था तथा सीवेज मेनुअल के प्रासंगिक विनिर्देशों के अनुसार कार्य निष्पादन किया जाना था। MoUD द्वारा जारी सीवेज मैनुअल के अनुसार उपचारित सीवेज का न्यूनतम 20 प्रतिशत की सीमा तक पुनः उपयोग किया जाना अनिवार्य है। इस के अतिरिक्त प्रस्तावित एस टी पी में ऑनलाइन नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जानी थी।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु आगणन का गठन करते समय उपचारित अपशिष्ट जल का न्यूनतम 20 प्रतिशत की सीमा तक पुनः उपयोग करने हेतु प्रावधानों को कार्य के विस्तृत आगणन में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। परंतु उक्त कार्य से संबन्धित विस्तृत आगणन की जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग करने हेतु प्रावधानों को कार्य के विस्तृत आगणन में सम्मिलित नहीं किया गया था। इस के अतिरिक्त कृषि, बागवानी जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए Sludge को खाद के रूप में उपयोग किए जाने संबंधी प्रावधान भी विस्तृत आगणन में नहीं पाए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि शोधित जल को पुन: प्रयोग करने हेतु वन विभाग की नर्सरी हेतु ` 926.00 लाख का प्राक्कलन एन.एम.सी.जी., नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है तथा स्लज के प्रयोग हेतु वन विभाग से बातचीत जारी है। विभाग का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है जोकि विभागीय स्तर पर योजना के आयोजन की कमियों को दर्शाता है।

आगे जाँच में पाया गया था कि उक्त योजना के अंतर्गत एसटीपी के निर्माण का मुख्य उद्देश्य प्राप्त अपशिष्ट जल को गंगा नदी में प्रवाहित होने से पूर्व CPHEEO[1] द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचारित कर गुणवत्ता में सुधार किया जाना था। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा एसटीपी का निर्माण किए जाने के छह माह पश्चात भी एस.टी.पी. द्वारा उपचारित सीवर से प्राप्त पानी की गुणवत्ता CPHEEO के मानको के अनुसार नहीं थी और 8 में से 3[2] मापदण्डों को प्राप्त करने में विफल रही थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि एस.टी.पी. वर्तमान में ट्रायल अवधि में संचालित है तथा बायोलॉजिकल बैक्टीरिया बनने में लगभग तीन माह का समय लगता है। उत्तर में आगे बताया गया कि स्थल पर फाइबर डिस्क फिल्टर का अधिष्ठापन नहीं किया गया है जिसके कारण मानकों के अनुरूप टीएसएस की मात्रा अधिक आ रही है। पैरामीटर मानकों के अनुसार प्राप्त न किए जाने के संबंध में विभाग का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। इस प्रकार एस.टी.पी. के ट्रायल रन प्रारम्भ होने के 6 माह पश्चात भी विभाग निर्धारित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण किया गया था जिसमे गंभीर कमियाँ[3] पायी गयी थी। उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि वर्णित कमियों का निराकरण किया जा रहा है। इस प्रकार ` 3512.798 लाख के व्यय उपरान्त भी विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। अतः विभाग द्वारा दिशानिर्देशों की अनदेखी तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप उद्देश्यों की पूर्ति न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

[1] Central Public Health & Environmental Engineering Organisation

[2] TSS (mg/L), PO4-P (mg/L), Fecal Coliforms (MPN/100 ml)

[3] ढालवाला नाले का पानी बिना ट्रीटमेंट एवं स्क्रीनिंग के सीधे गंगाजी में जा रहा है। EQ (Equalization) टैक जो उच्च प्रवाह के उतार-चढ़ाव को बनाए रखते हुए डाउन स्ट्रीम प्रक्रियाओं को लगातार प्रभावशाली प्रवाह प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है ताकि अपशिष्ट जल को विषाक्त बनने से रोका जाए, का पम्प माह मार्च से खराब होने के कारण प्लांट बंद पाया गया। फैन स्क्रीन के कार्य में दक्षता नहीं पाई गई जिस के कारण नॉन डिग्रेडेबल मेटीरियल रियक्टर तक पहुँच रहा है। चंदेश्वर नगर नाला की टैपिंग स्क्रीन चेम्बर में नहीं की गई है। Rising main (सीवर लाइन) के बिछान हेतु CC मार्ग को विघटित करने तथा ट्रंच की खुदाई हेतु प्रविधानित 2400 cum के सापेक्ष मात्र 171.91 cum निष्पादित किया गया तथा कई कार्यमदों के सापेक्ष कोई कार्य नहीं किया गया था।

भाग – II (ब)

प्रस्तर 3: ` 6402.012 लाख के व्यय उपरान्त भी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना, कार्य का अधोमानक एवं अपूर्ण रहना तथा सुरक्षित अग्रिम का नियमानुसार समायोजन न किया जाना।

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश में गंगा नदी के प्रदूषण नियंत्रण कार्यों हेतु (Interception and Diversion of Nalas (Rishikesh) & Construction of 26 MLD STP at Lakkar Ghat with tertiary Treatment & online monitoring system) ` 15800.78 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2017 में प्रदान की गयी थी जिसमे ` 10089.86 लाख के निर्माण कार्य एवं ` 5710.92 लाख के संचालन और अनुरक्षण कार्य संपादित किए जाने थे।

उक्त कार्य के सम्पादन हेतु महाप्रबंधक निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, हरिद्वार द्वारा ठेकेदार "M/s GDCL-EMIT JV (नई दिल्ली)" के साथ ` 12637.46 लाख का अनुबंध संख्या – 02/GM/2018-19 दिनाँक – 29.05.2018 को गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने एवं समाप्त करने की तिथि क्रमश: 31.05.2018 एवं 30.11.2019 थी। संबन्धित अभिलेखानुसार उक्त कार्य पर माह – 07/2020 तक ` 6402.012 लाख का व्यय किया जा चुका था एवं 79 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की जा चुकी थी। कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा (माह – 08/2020) के दौरान उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में कार्य निष्पादन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी थी:

1- उक्त कार्य की डी.पी.आर. के अनुसार ऋषिकेश के साईघाट में गंगा विहार कॉलोनी से उत्पन्न सीवर हेतु एक नये एस.पी.एस.[4] का निर्माण किया जाना था जिसमे 100 मीटर Rising Mains (सीवर लाइन) का निर्माण कार्य भी सम्मिलित था तथा जिसे एस.टी.पी. के ट्रंक सीवर के साथ जोड़ा जाना था। उपरोक्त एस.पी.एस. के निर्माण हेतु उक्त स्वीकृति के अंतर्गत ` 35.08 लाख स्वीकृत किए गए थे। परंतु उक्त कार्य के सम्पादन हेतु गठित अनुबंध संख्या – 02/GM/2018-19 से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा साईघाट में एस.पी.एस. के निर्माण हेतु मदों को अनुबंध में सम्मिलित न करते हुए एसपीएस का निर्माण नहीं कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप गंगा विहार कॉलोनी से उत्पन्न सीवर का निर्धारित समाधान नहीं हो सका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया था कि अनुबंध की प्रक्रिया के दौरान स्थल पर भूमि की उपलब्धता एवं तकनीकी साध्यता को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया गया कि एस.पी.एस. मानसून काल में जलमग्न हो सकता है, अत: अन्य विकल्पों पर विचार किया गया तथा नाले के अपस्ट्रीम में विभिन्न बिन्दुओं पर सीवर लाइन बिछाते हुए समीपवर्ती मैनहोल में नाले के श्राव को

[4] SPS – Sewage Pumping Station

ढाल दिया गया तथा नाले के अंतिम बिन्दु में ढाल में परिवर्तन करके टैप कर लिया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि एस.पी.एस. का निर्माणस्थल डूबक्षेत्र था तो उक्त कार्य की डी.पी.आर. बनाते समय उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया था? यह भी कि विभाग द्वारा उक्त एस.पी.एस. का निर्माण नहीं किए जाने के संबंध में न तो भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को सूचित किया गया था और न ही एस.पी.एस. के स्थान पर अन्य कार्य किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त की थी।

2- उपरोक्त कार्य की स्वीकृति एवं गठित अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को एस.टी.पी. को प्रवर्तन में लाने एवं परीक्षण चरण हेतु तीन माह का समय प्रदान किया गया था। उक्त एसटीपी का निर्माण कार्य माह – 02/2020 में पूर्ण किया जा चुका था तथा उसी समय से एस.टी.पी. परीक्षण चरण (Trial and Testing phase) में था। कार्य की डी.पी.आर. के अनुसार एस.टी.पी. द्वारा उपचारित सीवर से प्राप्त पानी की गुणवत्ता CPHEEO[5] के मापदण्डों के अनुसार होनी चाहिए थी। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार ठेकेदार द्वारा एस.टी.पी. का निर्माण किए जाने के तीन माह के भीतर एस.टी.पी. द्वारा उपचारित सीवर से प्राप्त पानी की गुणवत्ता CPHEEO के मापदण्डों के अनुसार होनी चाहिए थी। परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि ठेकेदार द्वारा एसटीपी का निर्माण किए जाने के छह माह पश्चात भी एस.टी.पी. द्वारा उपचारित सीवर से प्राप्त पानी की गुणवत्ता CPHEEO के मानको के अनुसार नहीं थी और 8 में से 3 मापदण्डों को प्राप्त करने में विफल रही थी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

S. No.	Parameter	Desired Value	Value Obtained	
			Month - 06/2020	Month - 07/2020
1	TSS (mg/L)	< or = 5	19	26
2	PO4-P (mg/L)	< or = 1	4.89	4.37
3	Fecal Coliforms (MPN/100 ml)	0	110	150

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि एस.टी.पी. ट्रायल रन पर चल रहा है जिनमे कुछ पैरामीटर मानकों के अनुसार प्राप्त नहीं हो पा रहे है। यह भी कि एस.टी.पी. बायोलॉजिकल पद्धति पर आधारित है जिसमे बैक्टीरिया के स्थायित्व में समय लगता है तथा शीघ्र ही सभी पैरामीटर मानकों के अनुसार प्राप्त होने की संभावना है। पैरामीटर मानकों के अनुसार प्राप्त न किए जाने के संबंध में विभाग का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है तथा निर्धारित पैरामीटर प्राप्त करने में अधिक समय लगने के संबंध में विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा आई.आई.टी. रुड़की की संस्तुति के आधार पर ही एस.टी.पी. के ट्रायल रन हेतु 3 माह का समय प्रदान किया गया था परंतु विभाग 6 माह पश्चात भी निर्धारित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सीवर लाइन से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण किया गया था जिसमे ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए गए सीवर लाइन के कार्य में गंभीर कमियाँ[6] पायी गयी थी। आगे जाँच में पाया गया था

[5] Central Public Health & Environmental Engineering Organisation

[6] दिनाँक – 22.01.2020 (1-ठेकेदार द्वारा पूर्व में दिये गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। 2- 1200 mm सीवर लाइन का कार्य बिना विचार-विमर्श किए प्रारम्भ कर दिया गया था। 3- पाइप बेड की CC की जाँच नहीं करायी गयी थी। 4- सीवर लाइन का संरेखण बिना सीवर लाइन बिछाये किया जा रहा था।)

दिनाँक – 12.02.2020 (1- सुरक्षा हेतु कोई उपाय नहीं किया गया था। 2- रोड़ी में मिट्टी मिली थी जिसे इस्तेमाल किया जा रहा था और रोकने पर मान नहीं रहे थे। 3- बेड की कंक्रीट मानकों के अनुसार नहीं की जा रही थी। 4- बेड की कंक्रीट मानकों के अनुसार नहीं होने पर भी पाइप बिछाये जा रहे थे। 5- मेन होल नहीं बनाये जा रहे थे।)

कि ठेकेदार द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक भी उक्त कमियों का निराकरण नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप सीवर लाइन का निष्पादित कार्य वर्तमान में भी अधोमानक था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि कार्य में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु फर्म को पत्र लिखे गए है तथा कमियों के निराकरण के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। विभाग का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

3- अनुबंध के Terms and Procedure of payment में सुरक्षित अग्रिम का प्राविधान दिया गया था जिसके अनुसार विभाग द्वारा ठेकेदार को कार्यस्थल पर लायी गयी गैर-नाशवान (Non-perishable) सामग्री हेतु सुरक्षित अग्रिम इस शर्त के साथ प्रदान किया जाना था कि कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्रियाँ अत्याधिक नहीं होगी तथा उचित समय (3 माह से ज़्यादा नहीं) के भीतर उपयोग कर ली जाएगी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा ठेकेदार को माह – 01/2019 से 03/2020 तक 15 चालू देयकों के माध्यम से सुरक्षित अग्रिम के रूप में कुल ` 465.53 लाख का भुगतान किया गया था जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक ठेकेदार के देयकों से केवल ` 188.59 लाख की कटौती सुरक्षित अग्रिम की वसूली/समायोजन के रूप में की गयी थी। इस प्रकार विभाग द्वारा ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम प्रदान किए जाने के छह माह पश्चात भी ` 276.95 लाख का समायोजन किया जाना लंबित था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि जिस सामग्री हेतु सुरक्षित अग्रिम प्रदान किया गया था उसकी अधिकांश मात्रा का उपयोग किया जा चुका है परंतु कार्यों में कुछ कमी होने के कारण भुगतान नहीं किया गया जिससे सुरक्षित अग्रिम का समायोजन नहीं किया जा सका था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि ठेकेदार द्वारा ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया जा रहा था तो विभाग द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए अनुबंध की शर्तोनुसार तीन माह के भीतर भीतर सुरक्षित अग्रिम का समायोजन किया जाना चाहिए था जोकि विभाग द्वारा नहीं किया गया था। अत: विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तो के विपरीत ` 276.95 लाख के सुरक्षित अग्रिम का समायोजन निर्धारित समय के भीतर ना किए जाने, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने, कार्य के अधोमानक एवं अपूर्ण रहने के प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

दिनाँक – 28.05.2020 (1100mm व्यास की मुख्य ट्रंक सीवर लाइन के मैनहोल 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 एवं 460 में लाइन के अन्दर लगभग 6 इंच से 1 फीट तक मिट्टी भरी पायी गयी थी तथा मिट्टी के ऊपर पानी भरा हुआ पाया गया था जिससे स्पष्ट है कि लाइन के जोईंट लीक कर रहे थे। मैनहोल के अन्दर प्लास्टर नहीं किया गया था तथा फुटरेस्ट भी स्थापित नहीं किए गए थे।)

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
इस इकाई की स्थापना माह मई 2013 में की गई थी। इकाई की स्थापना के बाद यह प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गई थी।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री पी.के. गुप्ता	परियोजना प्रबन्धक	06.05.13 से 29.06.15 तक
02.	श्री एम. हसन	परियोजना प्रबन्धक	30.06.15 से 21.04.17 तक
03.	श्री संजय सिंह	परियोजना प्रबन्धक	22.04.17 से 22.05.17 तक
04.	श्री आर.के. जैन	परियोजना प्रबन्धक	23.05.17 से 20.06.17 तक
05.	श्री संदीप कश्यप	परियोजना प्रबन्धक	21.06.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, आशुतोष नगर, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/03 दिनांकित 21.08.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)